

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया जिला नर्मदापुरम

कर्मॉक / 196 / अविअ / खाद्य / 2023

पिपरिया दिनांक 31 / 01 / 2023

-0प्रेस विज्ञप्ति0-

ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान विहीन पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है ।
- / / -

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला नर्मदापुरम का पत्र क्र.1452 / खाद्य / पीडीएस / 01 / पं. वि.दुकान / 21 नर्मदापुरम दिनांक 09.09.2021 में प्राप्त निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिल पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान नहीं है उन पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान खोल जाने हेतु पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन दिनांक 31 / 01 / 2023 से 10 / 02 / 2023 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं इच्छुक संस्थाएं rationmitra.nic.in वेबसाइट पर संबंधित पात्रता दस्तावेज एवं प्रक्रिया का आवलोकन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

(क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत (i) उपभोक्ता सोसायटी (ii) विपणन सोसायटी (iii) उत्पादक सोसायटी (iv) संसाधन सोसायटी (v) बहुप्रयोजन सोसायटी (ख) महिला स्व-सहायता समूह (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समिति दुकान आवंटन में एक तिहाई दुकाने महिला संस्थाओं / समूह के लिये आरक्षित रहेगी ।
तहसील बनखेडी के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न रिक्त पंचायतों में आवेदन आमंत्रित है ।
तहसील बनखेडी अंतर्गत जनपद पंचायत बनखेडी के ग्रामीण क्षेत्रकी ग्राम पंचायतें जहाँ वर्तमान में उचित मूल्य दुकाने संचालित नहीं है :-

तहसील बनखेडी

कर्मॉक	ग्राम पंचायत का नाम
1	परसवाडा ढाडिया
2	निभौरा
3	भैरोपुर
4	गोदलवाडा
5	बिछुआ
6	बारछी
7	बेदर
8	कामती

(निःशुल्क प्रकाशनार्थ)

पृ.क / 197 अविअ / खाद्य / 2023

प्रतिलिपि:-जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला नर्मदापुरम की ओर समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पिपरिया जिला नर्मदापुरम
पिपरिया दिनांक 31 / 01 / 23

पिपरिया जिला नर्मदापुरम
पिपरिया दिनांक 31 / 01 / 23